

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(117)एमई/ग्रुप-1/05 पार्ट

जयपुर, दिनांक :


- 8 AUG 2017

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(117)एमई/ग्रुप-1/05 पार्ट दिनांक 28.3.2017 के द्वारा डॉ. जितेन्द्र चौहान (मेरिट क्रमांक R-12, अ.जा.) की नवनियुक्ति सहायक आचार्य जनरल सर्जरी के पद पर मेडिकल कॉलेज, अजमेर में की जाकर कार्यभार ग्रहण करने हेतु आदेश जारी तिथि से चार सप्ताह की समयावधि प्रदान की गई थी। डॉ. चौहान द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर समसंख्यक विभागीय रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 05.7.2017 के द्वारा निर्देशित किया गया कि इस पत्र प्राप्ति के 15 (पन्द्रह) दिवस की अवधि में नियुक्ति आदेश दिनांक 28.3.2017 की पालना में पदस्थापित स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण कर, इस विभाग को अवगत करावे अन्यथा आपके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेंगे। इसके उपरान्त भी डॉ. चौहान द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया।

अतः डॉ. जितेन्द्र चौहान के द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने के फलस्वरूप समसंख्यक आदेश दिनांक 28.3.2017 के द्वारा उनके सहायक आचार्य जनरल सर्जरी के पद हेतु जारी नियुक्ति आदेश एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं।

आदेश से,



(भगवत सिंह)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, अजमेर।
5. डॉ. जितेन्द्र चौहान पुत्र श्री ओमप्रकाश चौहान (बी.ई.ई.ओ.), सदर बाजार, बिलाडा, जिला जोधपुर (राज.)-342602 को **रजिस्टर्ड डाक द्वारा**।
6. सहायक प्रोग्रामर, चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



(महेश व्यास)

सहायक शासन सचिव